E-mail : info@cldcollege.com, cldegree21@gmail.com
Website : cldcollege.com

☎ Ph. : 01332-251492, 251493
Mob : 9927027669

CHAMAN LAL MAHAVIDHYALAYA

Landhaura-Roorkee, Distt. Haridwar (Uttarakhand)
Affiliated To Shri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhyalay, Badshahithol, Tehri Garhwal (Uttarakhand)

चमन लाल महाविद्यालय, लण्ढौरा-रूड़की, जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

पत्रांक सं० 500/2018-19

स्मरण पत्र

दिनांक 16-11-2018

सेवा में,

कुलपति / कुलसचिव महोदय
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल टिहरी, उत्तराखण्ड।

विषयः— चमन लाल महाविद्यालय, लण्ढौरा, जनपद—हरिद्वार में एम०एस०सी० (गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गृह विज्ञान), एम०कॉम०, एम०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, चित्रकला, अर्थशास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र), बी०ए०(शिक्षाशास्त्र, संगीत, मनोविज्ञान, गणित, उर्दू, हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास) पाठ्यक्रमों में सत्र 2018—19 से नवीन सम्बद्धता कराने हेतु अनुरोध।

महोदय,

महाविद्यालय के पत्रांक 555 / 2017 दिनांक 02 / 01 / 2017, 1060 / 17 दिनांक 05 / 12 / 2017, 1087 / 17 दिनांक 21 / 12 / 2017, 46 / 2018 दिनांक 07 / 02 / 2018, 112 / 2018 दिनांक 15.03.2018, 188 / 2018 दिनांक 26.04क2018 तथा 252 / 2018 दिनांक 12.06.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें आपसे पूर्व में एम०एस०सी० (गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, कम्प्यूटर विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गृह विज्ञान), एम०कॉम०, एम०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, चित्रकला, अर्थशास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र), बी०एस०सी० कृषि तथा बी०ए० (शिक्षाशास्त्र, संगीत, मनोविज्ञान, गणित, उर्दू, हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास) पाठ्यक्रमों की नवीन सम्बद्धता प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक उपरोक्त पाठ्यक्रमों का संचालन करने हेतु आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई है।

उपर्युक्त क्रम में अवगत कराना है कि महाविद्यालय द्वारा रू 50,000 का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट (क्रमांक संख्या 554366 दिनांक 30 मार्च, 2017) भी जमा कराया जा चुका है। उक्त प्रकरण पर विगत 17 महीने से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। चमन लाल महाविद्यालय, लण्ढौरा जनपद- हरिद्वार में में सत्र 2013—14 से बी०ए०, बी०एस०सी०, बी०कॉम० तथा बी०लिब० पाठ्यक्रमों की कक्षायें संचालित हो रही हैं। जिसमें लगभग 1200 छात्र—छात्रायें अध्ययनरत है एवं महाविद्यालय सत्र 2017 से अनुदानित है। लण्ढौरा क्षेत्र के छात्र—छात्राओं को स्नातकोत्तर शिक्षा तथा बी०ए० के उपरोक्त विषयों के लिये रूड़की तथा हरिद्वार जाना पड़ता है। अतः छात्र—छात्राओं की सुविधा के लिए महाविद्यालय निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में नवीन सम्बद्धता चाहता है।

पाठ्यक्रमों का नाम	प्रवेश क्षमता
बी०ए० (शिक्षाशास्त्र, संगीत, मनोविज्ञान, गणित, उर्दू) —नवीन सम्बद्धता	160 छात्र—छात्राऐं प्रति विषय
बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास) – सीट वृद्धि	160 छात्र—छात्राऐं प्रति विषय
बी०एस०सी० कृषि —नवीन सम्बद्धता	160 सीट
एम०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, चित्रकला, भूगोल, गृह विज्ञान, राजनीति शास्त्र एवं समाज शास्त्र) —नवीन सम्बद्धता	80 छात्र—छात्राऐं प्रति विषय
एम०एस०सी० (गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, कम्प्यूटर विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान एवं गृह विज्ञान) —नवीन सम्बद्धता	80 छात्र—छात्राऐं प्रति विषय
एम०कॉम० —नवीन सम्बद्धता	80 सीट
एम०लिब० —नवीन सम्बद्धता	80 सीट

उपरोक्त संबंध में महाविद्यालय लगभग 17 माह से कई पत्र भेज चुका है लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित रूचि छात्र हित में नही ली जा रही है। आपसे व्यक्तिगत आग्रह है कि इस प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर सकारात्मक रूप से निस्तारित करने का कष्ट करें।

धन्यवाद सहित,

Chaman Lal Mahavidhyalaya I.Q.A.C. Cordinator Landhaura (Haridwar)

Sri Dev Suman Vishwavidhyalay
Date 29/11/18
Letter No.
Badshahithaul Tehri. T.G

भवदीय

(राम कुमार शर्मा)
अध्यक्ष
प्रबन्ध समिति

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalay
Landhaura, Distt -Haridwar, Uttarakhand

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल (टिहरी गढ़वाल) उत्तराखण्ड-२४९१९९
Sri Dev Suman Uttarakhand University
Badshahithaul (Tehri Garhwal) Uttarakhand - 249199
E-Mail-sdsuv123@gmail.com Website-http://www.sdsuv.ac.in

पत्रांक:-Memo/ SDSUV / Affi / 2021–22 दिनांक 20/09/2021

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि चमन लाल महाविद्यालय, लण्ढौरा, हरिद्वार इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेज है, कॉलेज में निम्नांकित पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे है:–

क्र.स.	पाठ्यक्रम का नाम	विषय	सरकार से सहायता प्राप्त श्रेणी में स्वीकृत सीट	स्वीकृत स्वः वित्त पोषित सीट
1	बी.ए.	हिन्दी	120	60
		अंग्रेजी	120	60
		संस्कृत	120	0
		इतिहास	120	60
		चित्रकला	120	0
		अर्थशास्त्र	120	0
		भूगोल	120	0
		गृह विज्ञान	120	0
		राजनीति विज्ञान	120	60
		समाजशास्त्र	120	60
		मनोविज्ञान	0	60
		संगीत	0	60
		शिक्षा शास्त्र	0	60
2	बी.कॉम.	—	160	0
	बी0काम0 (आनर्स)		—	60
3	बी.लिब.	—	40	0
4	बी0एससी0(गृह विज्ञान)	—	60	0
	बी0एससी0 (कृषि)		—	50
5	बी.एससी	भौतिक विज्ञान	120	0
		गणित	120	0
		रसायन विज्ञान	240	0
		वनस्पति विज्ञान	120	0
		जन्तु विज्ञान	120	0
		सूक्ष्म जीव विज्ञान	80	0
		कम्प्यूटर विज्ञान	80	0
		भूगर्भ विज्ञान	80	0

Chaman Lal Mahavidhyalaya Landhaura (Haridwar) I.Q.A.C. Cordinator

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt.-Haridwar, Uttarakhand

6	एम.एससी.	जन्तु विज्ञान	0	20
		वनस्पति विज्ञान	0	20
		रसायन विज्ञान	0	20
		भौतिक विज्ञान	0	20
		गणित	0	20
		सूक्ष्म जीव विज्ञान	0	20
7	एम.कॉम.	–	0	20
8	एम.ए.	अंग्रेजी	0	20
		संस्कृत	0	20
		भूगोल	0	20
		गृह विज्ञान	0	20
		चित्रकला	0	20
		अर्थशास्त्र	0	20
		समाजशास्त्र	0	20
		राजनीति विज्ञान	0	20
		हिन्दी	0	20

प्रो0(एम0एस0रावत),
प्रभारी कुलसचिव।

प्रतिलिपि प्राचार्य, चमन लाल महाविद्यालय, लण्ढौरा, हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

MS 20.9.21

प्रो0(एम0एस0रावत),
प्रभारी कुलसचिव।

Chaman Lal Mahavidhyalaya, Landhaura (Haridwar) — I.Q.A.C. Cordinator

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt.-Haridwar, Uttarakhand

निर्देश - 02 पत्र 07

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

UTTARAKHAND SANSKRIT UNIVERSITY, HARIDWAR

बहादराबाद, हरिद्वार – दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग

BAHADARABAD HARIDWAR-DELHI NATIONAL HIGHWAY

पो० – बहादराबाद (हरिद्वार)– 249402

P.O.: BAHADARABAD (HARIDWAR)-249402

Website: www.usvv.ac.in

पत्रांक सं0 725 /अस्थाई सम्बद्धता/2020–21 दिनांक 11 फरवरी, 2021

सेवा में,

प्राचार्य
चमन लाल महाविद्यालय, लन्ढौरा,
जनपद–हरिद्वार।

विषय :– सम्बद्धता विस्तारण विषयक

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वि.प. विद्यापरिषद् की 20वीं बैठक दिनांक 24 जून, 2020 के मद संख्या-03 के विनिश्चयानुसार तथा मा. कार्यपरिषद् की 38वीं बैठक दिनांक 30 जून, 2020 के मद संख्या–05 के विनिश्चयानुसार एवं मा. कुलपति महोदय के अनुमोदन के क्रम में आपके महाविद्यालय को निम्न संचालित पाठ्यक्रमों में अस्थायी सम्बद्धता/मान्यता सत्र 2020–21 (एक वर्ष) हेतु विस्तारण किया जाता है :–

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	प्रवेश क्षमता (सीट)
1	पी०जी०डी० योग	40
2	योगाचार्य	40
3	एम.लिब. साइंस	30
4	आचार्य (एम.ए.) हिन्दी	40
5	आचार्य (एम.ए.) इतिहास	40
6	आचार्य (एम.ए.) पत्रकारिता	40

ह० (गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा. कुलपति महोदय को सूचनार्थ।
2. उपकुलसचिव (परीक्षा)।
3. कार्यालय प्रति।

ह० (गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव

प्राचार्य
चमन लाल महाविद्यालय
मंगलौर रोड, लन्ढौरा
जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt.-Haridwar, Uttarakhand

Chaman Lal Mahavidhyalaya
I.Q.A.C.
Cordinator
Landhaura (Haridwar)

5. संस्थान द्वारा नियुक्त फैकल्टी स्टॉफ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

6. संस्थान के कैम्पस में अन्य किसी विश्वविद्यालय से संबंधित इसी प्रकार का कोर्स संचालित होने की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

7. सम्बद्धता हेतु शासन को उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्तावों में कमियां परिलक्षित होने पर निरीक्षण मण्डल के सदस्यों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

8. विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के प्रवेश से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा नियामक संस्था/शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान की मान्यता समाप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो शासन द्वारा सम्बन्धित कार्मिक/सक्षम अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

9. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संस्थान के अकादमिक, प्रशासनीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के उल्लेख के साथ-साथ फैकल्टी की शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताओं तथा उनके फोटोग्राफ्स भी प्रकाशित किये जायेंगे तथा उसकी एक हार्डकापी शासन को भी उपलब्ध कराते हुए वेबसाइट के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।

10. छात्रों से विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा, यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

11. संस्थान में कार्यरत फैकल्टी एवं कर्मचारियों के वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप अनिवार्य रूप से क्रास चेक द्वारा उनके नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय-समय पर विश्वविद्यालय/निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा की जायेगी।

12. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी० छात्र, छात्राओं को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।

13. पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात ही अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की जायेगी, अन्यथा सम्बन्धित शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर अस्थाई सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

14. संस्थान द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसकी पुष्टि की जानी होगी अन्यथा आगामी अस्थाई सम्बद्धता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

भवदीय,

(अरुण कुमार ढौंडियाल)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी एवं सचिव।

संख्या-3497 (1)/जी०एस०/ A11-1 /2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
3. प्रबन्धक, सम्बन्धित संस्थान।
4. उच्च शिक्षा विभाग की पत्रावली हेतु।
5. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(धनश्याम जोशी)
उपसचिव।

Chaman Lal Mahavidhyalaya I.Q.A.C. Coordinator Landhaura (Haridwar)

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt -Haridwar, Uttarakhand

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय

बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड 249 199

Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhyalaya

Badshahithaul, Tehri Garhwal, Uttarakhand 249 199

Ref: 4664/SDSUV/RO/Affl.-2014-15   Date: 17/02/2016

कार्यालय ज्ञाप

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा समीचीन कार्यवाही के उपरान्त, माननीय कुलाधिपति की स्वीकृति के क्रम में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (यथासंशोधित) के अध्याय 6 की धारा 33(1) के अधीन निम्नांकित महाविद्यालयों/संस्थानों को कार्यपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त स्तम्भ–3 में वर्णित पाठ्यक्रमों में उनके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में इंगित अवधि (सत्र–2014–15) के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी गयी है–

क्रम संख्या	संस्थान/महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	चमन लाल महाविद्यालय, मंगलौर रोड, लण्ढौरा, हरिद्वार।	बी0ए0(हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, गृह-विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, भूगोल, चित्रकला)।	प्रत्येक विषय में 120 सीट	शैक्षणिक सत्र 2014–15 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण।	कुलाधिपति सचिवालय के पत्रांक–3497/जी0एस0/शिक्षा/A11-1/2015, दिनांक–05 नवम्बर, 2015।
		बी0एससी0(भौतिक, गणित, जन्तु, वनस्पति विज्ञान)			
		बी0एससी0 रसायन विज्ञान	240 सीट		
		बी0एससी0(कम्प्यूटर विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, माइक्रोबायलोजी)	प्रत्येक विषय में 60 सीट		
		बी0एससी0 (गृह विज्ञान)	60 सीट		
		बी0कॉम0	160सीट दो सेक्शन हेतु		
		बी0लिब	40 सीट		
2.	हरिओम सरस्वती डिग्री कॉलेज, धनौरी, हरिद्वार।	बी0ए0(हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, शिक्षाशास्त्र, संस्कृत, अर्थशास्त्र)।	प्रत्येक विषय में 50–50 सीट	शैक्षणिक सत्र 2014–15 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण।	कुलाधिपति सचिवालय के पत्रांक संख्या–3745/जी0एस0/शिक्षा/A11-08/2015, दिनांक–27 नवम्बर 2015।
		बी0ए0 चित्रकला	20 सीट		
		बी0ए0 गृह विज्ञान	40 सीट		
		बी0एससी0(भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित), (जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान)।	प्रत्येक विषय में 50–50 सीट		
		बी0कॉम0	60 सीट		

1. सत्र के प्रारम्भ में संस्थान/महाविद्यालय अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
2. संस्थान को शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
3. कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय- समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
4. संस्थान को शुल्क एवं प्रवेश के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय/नियामक संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
5. यदि नियामक संस्था/विश्वविद्यालय/राज्य सरकार या अन्य एजेन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति अथवा सम्बद्धता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश/पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt -Haridwar, Uttarakhand

I.Q.A.C. Coordinator, Chaman Lal Mahavidyalaya, Landhaura (Haridwar)

Scanned with CamScanner

6. संस्थान द्वारा नियुक्त फैकल्टी स्टाफ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने की दशा में शिकायतें प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

7. संस्थान के कैम्पस में अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध इसी प्रकार का कोर्स संचालित होने की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

8. सम्बद्धता हेतु शासन को उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्तावों में त्रुटि परिलक्षित होने पर निरीक्षण मण्डल/समिति का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

9. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संस्थान के अकादमिक, प्रशासकीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के उल्लेख के साथ-साथ फैकल्टी की शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताओं तथा उनके फोटोग्राफ भी प्रकाशित किये जायेंगे तथा इसकी एक हार्डकापी शासन को भी उपलब्ध कराते हुये वेबसाइट के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।

10. संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय, शासन एवं मा0 कुलाधिपति के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

11. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 छात्र/छात्राओं को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।

12. छात्रों से विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

13. संस्थान में कार्यरत फैकल्टी एवं अन्य कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप अनिवार्य रूप से क्रास चेक द्वारा उनके नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय-समय पर विश्वविद्यालय/निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा की जायेगी।

14. विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के प्रवेश से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा नियामक संस्था/यू0जी0सी0/शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नहीं पायी जाती है, अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक द्वारा संस्थान की मान्यता समाप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता बरती जाती है, तो शासन द्वारा सम्बन्धित कार्मिक/सक्षम अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

15. पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात ही अपेक्षित अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की जायेगी, अन्यथा सम्बन्धित शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर अस्थाई सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

16. संस्थान द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय, एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसकी पुष्टि की जानी होगी, अन्यथा आगामी अस्थाई सम्बद्धता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

डॉ0(एस0एस0 रावत)
कुलसचिव।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्रीमान कुलाधिपति, राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, राजभवन देहरादून को सूचनार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. प्राचार्य/निदेशक, सम्बन्धित संस्थान।
4. निजी सचिव, कुलपति सचिवालय, मा0 कुलपति महोदय को सूचनार्थ।
5. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव।
6. वित्त अधिकारी।
7. उपकुलसचिव।
8. कार्यालय प्रति।

डॉ0(एस0एस0 रावत)
कुलसचिव।

कुलसचिव
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt -Haridwar Uttarakhand

Scanned with CamScanner